बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग
बिहार सरकार

सत्यमेव जयते

Office of The State Commissioner for
Persons with Disabilities

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय

पुराना सचिवालय, सिचाई भवन परिसर, पटना

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2022-23

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग
बिहार सरकार

Office of The State Commissioner for Persons with Disabilities

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय

पुराना सचिवालय, सिचाई भवन पस्सिर, पटना

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2022-23

पुराना सचिवालय, सिचाई भवन पस्सिर, पटना

Phone No. 0612-2215041 | Helpline - +91-84483 85590

scdisability2008@gmail.com | scdisablity-bih@gov.in www.scdisabilities.com

श्रवण कुमार
मंत्री
समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

बिहार सरकार

मुख्य सचिवालय
पटना- 800015
दुरभाष: 0612-2215045
फैक्स : 0612-2215045

शुभकामना संदेश

मुझे दिव्यांगजनों के कल्याण से संबंधित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधान मंडल के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आप अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सक्षम नेतृत्व एवं बहुआयामी विकासशील मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग एवं राज्य आयुक्त नि:शक्तता का कार्यालय निरंतर अपने दायित्वों के संवहन में पूरी तत्परता के साथ कार्यरत है।

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं मानसिक कल्याणार्थ अनके प्रयास किये गये हैं एवं आगे भी सतत प्रयत्नशीलता के साथ प्रयास जारी रहेगा। राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा वर्ष 2022-23 में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यो से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जा रहा ताकि सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दिव्यांगजनों तक पहुँच सके तथा समाज में इनके प्रति संवेदनशीलता बढ़े।

मुझे पुरी आशा है कि इससे आमलोगों के बीच दिव्यांगजनों से संबंधित कार्यक्रमों एवं किए गए कार्यों के संबंध में जागरूकता आयेगी। इस परिप्रेक्ष्य में आपके सुझावों का विभाग द्वारा सदैव स्वागत किया जायेगा।

(श्रवण कुमार)

STATUS OF IMPLEMENTATION OF RPwD ACT, 2016 : BIHAR

Sl. No	Name of the Point	Response
1	राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की जनसंख्या (जनगणना/सर्वेक्षण का वर्ष):	10.41 करोड़. (104,099,452) जनगणना-2011 के अनुसार
2	दिव्यांग व्यक्तियों की जनसंख्या..... और जनसंख्या.....%	23.23 लाख 2.23%
3	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में जिलों और ब्लॉकों की संख्या:	जिले- 38 ब्लॉक- 534
4	क्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के प्रत्येक जिले और पीएचसी/सीएचसी में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है:	हाँ
5	उन जिलों और पीएचसी/सीएचसी की संख्या जहां चिकित्सा प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है:	सभी 38 जिलों को कवर करते हुए सदर अस्पताल/पीएचसीएस/सीएचसीएस में चिकित्सा प्राधिकार का गठन किया गया है।
6	वित्तीय वर्ष (अर्थात 01.04.2022-31.03.2023) के दौरान जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाणपत्रों की संख्या:	49345
7	राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्रों की कुल संख्या:	1554943 (UDID Card generated-420125)

2. Rights & Entitlements: (Section 3-15):

Sl. No	Sub-Section	Points	Action Taken/Response
Chapter 2: Rights and Entitlements			
1.	3.	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए समानता, गैर-भेदभाव, गैर-अभाव और उचित आवास की दिशा में उठाए गए कदम।	दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। दिव्यांगजनों को उचित आवास उपलब्ध कराने के उपाय किये गये हैं। इसमें सरकारी पीडब्ल्यूडी आवास योजनाओं के तहत आरक्षण और प्राथमिकता देना और आवास उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन में रियायतें शामिल हैं। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 पर आधारित नियम 'बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017' (बिहार दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017) को बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों के लिए समानता और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया गया है। . सरकार द्वारा संचालित 27 मौजूदा घर और गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित 53 घर जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकृत हैं और दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं।
	4.	यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि महिलाएं और बच्चे अपने अधिकारों का आनंद लें और दूसरों के साथ समान रूप से स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करें।	समाज कल्याण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि दिव्यांग महिलाएं और बच्चे दूसरों के साथ समान रूप से अपने अधिकारों का आनंद लें। ऐसे लोगों को उनके समान अधिकारों के साथ-साथ इस अधिनियम के तहत दिए गए विशेष अधिकारों के बारे में जागरूक और संवेदनशील बनाया जा रहा है।

	5.	दिव्यांग व्यक्तियों को घरेलू, आवासीय और सामुदायिक सहायता सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं।	कदम उठाए गए हैं और दिव्यांगजनों के लिए सामान्य सामुदायिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जा रहा है।
	6.	दिव्यांग व्यक्तियों को क्रूरता, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से बचाने के लिए उपाय किए गए।	दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उपाय किए गए हैं। किसी भी दिव्यांगजन को किसी भी शोध का विषय बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग से एनओसी अनिवार्य है।
	7.	दिव्यांग व्यक्तियों को दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण से बचाने के लिए उठाए गए कदम।	उपाय किये गये हैं। दिव्यांगों को उनके खिलाफ हुई ऐसी किसी भी घटना की तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई के लिए स्थानीय प्रशासनिक या पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पीडब्ल्यूडी के बारे में अधिकारियों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, पत्रक और अन्य सामग्री वितरित की जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह दिव्यांगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे। 14 कानूनी सेवा क्लिनिक क्रियाशील हैं। 'बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017' (बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017) कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करता है। पुनर्वास के लिए राज्य सरकार, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ("बीएलएसए") तथा आवश्यकतानुसार राज्य निःशक्तता आयुक्त के साथ भी समन्वित प्रयास किया जाता है। एनएएलएसए (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना, 2015 के कार्यान्वयन के लिए भी कदम उठाए गए हैं, जो बीएलएसए के माध्यम से अन्य गतिविधियों के बीच न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाता है।
	8.	जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में समान सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम।	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशानिर्देशों के अनुरूप सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है। इसमें जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों में दिव्यांगों की सुरक्षा और सुरक्षा के संबंध में विशेष प्रावधान हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में दिव्यांगों की सुरक्षा को शामिल करने के प्रावधान हैं। दिव्यांगजनों की सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का भी पालन किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं और आपदा जोखिम शमन और प्रबंधन की दिशा में क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल, सूचना, शिक्षा और संचार प्रदान किए जाते हैं। चुनाव आयोग की मतदाता सूची और राज्य निःशक्तता आयोग के सहयोग से जिलों में निःशक्तजनों का रिकार्ड संकलित किया जा रहा है।
	9.	इस प्रावधान के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि सक्षम न्यायालय के आदेश के अलावा किसी भी दिव्यांग बच्चे को दिव्यांगता के आधार पर माता-पिता से अलग नहीं किया जाएगा।	इस प्रावधान को क्रियान्वित किया जा रहा है।
	10.	यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों को प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के बारे में जानकारी मिल सके।	प्रजनन अधिकार दिव्यांगों के साथ-साथ सभी के लिए लागू किए गए हैं। परिवार नियोजन प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति की निःशुल्क और सूचित सहमति को अनिवार्य करती है।

	11.	यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि सभी मतदान केंद्र और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित सामग्री दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समझने योग्य और सुलभ हो।	हां, दिव्यांग मतदाताओं के लिए साइनेज, हेल्प डेस्क, रैंप, शौचालय, पीने का पानी, बिजली, रैंप और व्हीलचेयर की उपस्थिति आदि जैसी सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं के साथ सुलभ मतदान केंद्र उपलब्ध हैं। इसके अलावा ईसीआई दिव्यांगजनों के लिए बूथों पर एएमएफ (Assured Minimum Facility) सुनिश्चित करने के लिए एक्सेसिबिलिटी पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति कर रहा है। पोस्टल बैलेट सुविधा का विकल्प उन मतदाताओं के लिए बढ़ा दिया गया है जिन्हें दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के रूप में चिह्नित किया गया है। यह प्रावधान लागू कर दिया गया है जिसमें निर्वाचन विभाग यह सुनिश्चित करता है कि सभी मतदान केंद्र दिव्यांगजनों के लिए सुलभ हों और भूतल पर हों। सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा के अलावा, दिव्यांगजनों के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के सहायक, प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैंप/रेलिंग, शेड, फिंगर स्पेलिंग वर्णमाला साइनेज, प्रतीक्षालय आदि रखने का प्रावधान है। आम चुनाव, 2019 में मतदान की सुविधा के लिए जिलों को 505 फोल्डेबल व्हीलचेयर उपलब्ध कराए गए और इसके अलावा बिहार विधान सभा चुनाव, 2020 में जिलों को 1010 फोल्डेबल व्हीलचेयर उपलब्ध कराए गए। एपिक, मतदाता पर्ची, मतपत्र, ईवीएम मशीनें ब्रेल में उपलब्ध कराई गई। आम चुनाव, 2019 और बिहार विधान सभा चुनाव, 2020 के प्रचार के लिए विशेष रूप से निर्मित सांकेतिक भाषा से संबंधित पोस्टर और बैनर उपलब्ध कराए गए। मतदान केंद्रों के दौरे के लिए जिला स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया था। बिहार विधान सभा चुनाव, 2020 के दौरान दिव्यांगजनों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान की गई थी। दिव्यांगजनों के बीच संवेदनशीलता और जागरूकता के साथ-साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित पीडब्लूडी आइकॉन और पीडब्लूडी ऐप के माध्यम से भी मतदान किया गया। बिहार विधान सभा चुनाव, 2020 के दौरान 38 दिव्यांग प्रबंधित मतदान केंद्र स्थापित किये गये थे। लगभग 60,000 स्वयंसेवकों (जीविका दीदी, ब्लॉक संसाधन केंद्र कर्मचारी, विकास मित्र, स्काउट और गाइड स्वयंसेवक, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) को दिव्यांगों के लिए आसान और सुलभ चुनाव के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। दिव्यांग मतदाताओं को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित करना जिसमें PwD से संबंधित प्रश्नों को सर्वेक्षण प्रारूप में शामिल किया गया था - बिहार विधान सभा चुनाव, 2020 से पहले आयोजित KAP (Knowledge, Attitude and Practice) बेसलाइन सर्वेक्षण और चुनाव के बाद KAP एंड लाइन सर्वेक्षण।
	12.	दिव्यांग व्यक्तियों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम।	न्याय तक पहुंच के लिए दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। दिव्यांगों को कानूनी सहायता प्रदान की गई। बिहार के डीएलएसए में 14 कानूनी सेवा क्लिनिक कार्यरत हैं। इस तरह के कानूनी क्लिनिक पीएलवी और डीएलएसए के पैनल वकीलों के साथ संचालित होते हैं जो मानसिक बीमारी से संबंधित मुद्दों पर जागरूक कर रहे हैं और कानूनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 37 जिलों के लिए 50 वकीलों का

			पैनल मौजूद है. उप-विभागीय स्तर पर भी न्याय तक पहुंच के लिए ऐसा पैनल मौजूद है। इसके अलावा 16 वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) केंद्र कार्यरत हैं। सुलभ प्रारूप (मंगल यूनिकोड) में दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। 1 एकीकृत राज्य सरकार. वेबसाइट और पहचाने गए 44 सार्वजनिक दस्तावेज़ों को GIGW (भारत सरकार के लिए दिशानिर्देश) के बाद सुलभ बनाया गया है।
	13.	यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों को संपत्ति विरासत के अधिकार के साथ-साथ दूसरों के साथ समान आधार पर कानूनी क्षमता का आनंद मिले।	संपत्ति का अधिकार कानून किसी की दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है।
	14.	क्या सीमित संरक्षकता और लागू की स्थिति के लिए नियम बनाए गए हैं?	सीमित अभिभावक की सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया अधिसूचित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार लागू की जा रही है।
	15.	क्या सामुदायिक गतिशीलता और सामाजिक जागरूकता के लिए प्राधिकारी नियुक्त/नामित हैं।	अधिकारी दिव्यांगों को समर्थन देने के लिए सामुदायिक गतिशीलता और सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण निदेशालय का गठन पहले ही किया जा चुका है और दिव्यांगता सशक्तिकरण के समर्पित प्रयासों के लिए 40 सहायक निदेशकों की नियुक्ति की जा रही है।

3. Education: (Section 16-18):

Sl. No	Sub-Section	Points	Action Taken/Response
Chapter 3: Education			
2.	16 & 17	सीडब्ल्यूडी (दिव्यांग बच्चों) में शैक्षिक समावेशन की दिशा में उठाए गए कदम।	सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीडब्ल्यूडी को समावेशी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके शिक्षकों को विशेष शिक्षकों द्वारा चरणबद्ध रूप से नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। 16(1) सीडब्ल्यूएसएन (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) के लिए शून्य अस्वीकृति नीति प्रचलन में है। प्रत्येक स्कूल (बिहार सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों का) नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। 16(ii) परिसर और अन्य सुविधाओं की सुलभता के साथ शैक्षिक भवनों का निर्माण किया जा रहा है। 16(iii) सीडब्ल्यूएसएन की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास प्रदान किया जाता है। नेत्रहीन सीडब्ल्यूएसएन के लिए स्पर्श, सीपी (Cerebral Palsy) के लिए गमक उत्कर्ष, बौद्धिक दिव्यांगता के लिए मनोविकास, बोलने में अक्षम सीडब्ल्यूएसएन के लिए वाणीविकास सुविधाएं इत्यादि। दृष्टि बाधित लड़कियों और श्रवण बाधित लड़कियों के लिए, गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 25 सीडब्ल्यूएसएन लड़कियों की क्षमता के साथ 112 केजीबीवीएस (कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय) आवंटित किए गए हैं। 2022-23 के दौरान, 1616 सीडब्ल्यूएसएन (लड़कियां) नामांकित हुईं और आवासीय प्रणाली में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। 16(iv) समावेशन सुनिश्चित करने के लिए सीडब्ल्यूएसएन को निम्नलिखित भत्ते/सहायता और उपकरण दिए गए-
	18.	वयस्क शिक्षा और सतत शिक्षा कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों की भागीदारी को बढ़ावा देने, सुरक्षा देने और सुनिश्चित करने के लिए अन्य लोगों के साथ समानता के उपाय किए गए।	

विवरण	सीडब्ल्यूएसएन की संख्या
Reader Allowance (I to VIII)	1138
Reader Allowance (XI to XII)	265
Aids & Appliances (I to VII)	7440
Aid & Appliance (XI to XII)	834
Braille Books (Elementary)	1150
Braille Books (Secondary)	65
Stipend for Girls (Elementary)	8666
Stipend for Girls (Secondary)	1071

16(v) सीडब्ल्यूएसएन जो अंधे और बहरे दोनों हैं, उन्हें संसाधन शिक्षकों द्वारा सबसे उपयुक्त भाषा में पढ़ाया जा रहा है जो उक्त क्षेत्र में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। इसके अलावा सभी कार्यरत विशेष शिक्षकों को सीडब्ल्यूएसएन की विभिन्न श्रेणियों का समर्थन करने के लिए क्रॉस दिव्यांगता में सेवा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

16(vi) विशिष्ट सीखने की अक्षमताओं का पता लगाने के लिए जिला इकाई द्वारा पहचान शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि उन्हें सहायता और उपकरण, सहायक उपकरण, सर्जिकल सुधार की आवश्यकता आदि उपलब्ध कराई जा सके। विशिष्ट सीखने की अक्षमताओं वाले पहचाने गए सीडब्ल्यूएसएन को हमारे विशेष शिक्षकों का समर्थन मिलता है।

16(vii) सीडब्ल्यूएसएन द्वारा उपलब्धि का आकलन करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन संसाधन शिक्षकों और जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा और राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा यादृच्छिक रूप से किया जाता है। मूल्यांकन करते समय, प्रश्न पत्रों का अनुकूलन, नियमानुसार विस्तारित समय अवधि और अन्य सहायता उन्हें उपलब्ध कराई जाती है।

16(viii) 2022-23 के दौरान, प्रारंभिक कक्षाओं के 13063 पात्र सीडब्ल्यूएसएन को एस्कॉर्ट भता (प्रत्येक सीडब्ल्यूएसएन @ 3,000/- रुपये) दिया गया और माध्यमिक कक्षाओं के 846 सीडब्ल्यूएसएन को रुपये 1000/- प्रत्येक की दर से परिवहन भता दिया गया।

17 (a) समग्र शिक्षा के तहत, सीडब्ल्यूएसएन की पहचान करने और उनकी विशेष जरूरतों का पता लगाने के लिए हर 3 साल के बाद सर्वेक्षण किया जाता है, लेकिन सर्वेक्षण डेटा का अद्यतनीकरण हर साल किया जाता है।

17 (d) समग्र शिक्षा के तहत, पेशेवरों को स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा का समर्थन करने के लिए सीडब्ल्यूएसएन और उनकी शिक्षा के मुद्दों पर प्रशिक्षण मिलता है।

17 (e) वर्तमान में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सहायता के लिए सभी 38 जिलों में 74 संसाधन केंद्र कार्यरत हैं। जल्द ही 197 संसाधन केंद्र स्थापित किए जाने हैं।

17 (f) उपयुक्त संवर्धित और वैकल्पिक तरीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, अब तक केवल ब्रेल का उपयोग उनके समुदाय और समाज में भाग लेने और योगदान करने के लिए किया जाता है।

17 (g) 2022-23 के दौरान अठारह वर्ष की आयु तक बेंचमार्क दिव्यांगता वाले सीडब्ल्यूएसएन को मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के अलावा, ब्रेल किताबें, अन्य शिक्षण सामग्री और उचित सहायक उपकरण मुफ्त

			प्रदान किए जाते हैं, वितरण की विवरण इस प्रकार है: Description — No. of CWSN Braille Books (Elementary) — 1150 Braille Books (Secondary) — 65 17 (h) 2022-23 के दौरान, कुल 9737 लड़कियों (बैंचमार्क के साथ सीडब्ल्यूएसएन), प्रत्येक को अधिकतम 10 महीने तक, 200/- रुपये प्रति माह की दर से वजीफा दिया गया है। 17 (i) आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में उचित संशोधन किये जाते हैं। सीडब्ल्यूएसएन की अतिरिक्त समय, लेखक की सुविधा, दूसरी भाषा से छूट जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए परीक्षा प्रणाली में संशोधन किए गए हैं। 17 (k) समावेशी शिक्षा की निगरानी और मूल्यांकन के लिए ई-शिक्षाकोश के अंतर्गत 'दिव्य' नाम से एक ऐप विकसित किया गया है। सभी दिव्यांग बच्चों को स्कूलों में प्रवेश मिलता है (जीरो रिजेक्शन पॉलिसी) और अन्य बच्चों के साथ समान रूप से खेल और मनोरंजन गतिविधियों के लिए शिक्षा और अवसरों का प्रावधान है। सीडब्ल्यूएसएन को केजीबीवी (कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय) योजना के तहत स्कूलों में शामिल किया जाता है और पढाया जाता है। सभी दिव्यांग बच्चों को स्कूलों में प्रवेश मिलता है (जीरो रिजेक्शन पॉलिसी) और अन्य बच्चों के साथ समान रूप से खेल और मनोरंजन गतिविधियों के लिए शिक्षा और अवसरों का प्रावधान है। सीडब्ल्यूएसएन को केजीबीवी (कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय) योजना के तहत स्कूलों में शामिल किया जाता है और पढाया जाता है। भवन, परिसर और विभिन्न सुलभ सुविधाएं बनाने की प्रक्रिया चल रही है और 82.03% स्कूलों को बाधा मुक्त बना दिया गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास प्रदान किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक जिले में रिसोर्स सैंटर, डे केयर सेंटर की स्थापना की गई है। उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सुविधाओं में ब्रेल किताबें और उपकरण निःशुल्क शामिल हैं। आवासीय/गैर आवासीय ब्रिज पाठ्यक्रम सीडब्ल्यूएसएन को समायोजित करने का साधन हैं। सीडब्ल्यूएसएन की गंभीर और गहन श्रेणी के लिए, उन्हें दैनिक जीवन कौशल सहित घर आधारित शिक्षा सुविधा प्रदान की जा रही है। सीडब्ल्यूएसएन की व्यक्तिगत आवश्यकता का आकलन करने के लिए हर साल मूल्यांकन शिविर आयोजित किए जाते हैं और उन्हें सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। सीडब्ल्यूएसएन, विशेष रूप से श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित और अस्थिबाधित दिव्यांगों के लिए शल्य चिकित्सा सुधार का प्रावधान व्यवहार में है। पिछले शैक्षणिक सत्र के दौरान, 192 सीडब्ल्यूएसएन ने इस सुविधा का लाभ उठाया। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बच्चों में सीखने की विशिष्ट अक्षमताओं का जल्द से जल्द पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय तैयार करने की पहल की है। सीडब्ल्यूएसएन को वर्ष में 10 माह के लिए पाठक भत्ता की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। नेत्रहीन दिव्यांगों को ब्रेल स्लेट, ब्रेलर, स्पर्श पुस्तकों की सहायता से ब्रेल में भी शिक्षा प्रदान की जाती है। बधिर दिव्यांगजनों को सांकेतिक

			भाषा के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान की जाती है। बधिर और अंधे दिव्यांगों के लिए, व्यक्तिगत शिक्षा योजना (आईईपी) के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। सीडब्ल्यूएसएन बच्चे की पहचान करने और उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपायों के साथ शीघ्र हस्तक्षेप शुरू करने के लिए प्रत्येक जिले में सभी ब्लॉकों तक पहचान शिविर आयोजित किया जाता है। सीडब्ल्यूडी की पहचान के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों का पहला सर्वेक्षण 2017 में और फिर 2019 में पूरा किया गया। नामांकित स्कूल जाने वाले बच्चों में से 2.5% सीडब्ल्यूएसएन की पहचान करने के लिए एक अभियान चल रहा है। समावेशी शिक्षा का समर्थन करने के लिए स्कूल स्तर से ही उपलब्ध पेशेवरों और कर्मचारियों को विभिन्न दिव्यांगताओं पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बिहार के सभी जिलों में 74 संसाधन केंद्र और 37 डे केयर सेंटर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, जिलों-पटना, पूर्णिया, भागलपुर, बेतिया और सीवान में 5 कृत्रिम अंग केंद्र चालू हैं, जो दिव्यांगों को सशक्त बनाते हैं और सीडब्ल्यूएसएन बच्चे के शैक्षिक पुनर्वास में योगदान करते हैं। बोलने, संचार और भाषा संबंधी दिव्यांग व्यक्तियों की दैनिक संचार आवश्यकताओं को पूरा करने और उन्हें अपने समुदाय और समाज में भाग लेने और योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए अपने स्वयं के भाषण के उपयोग को पूरक करने के लिए ब्रेल भाषा को संवर्द्धित और वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। जरूरतमंद सीडब्ल्यूएसएन को ब्रेल किताबें, सहायक उपकरण, आईसीटी सामग्री, सहायता और उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। दिव्यांग छात्रों को उपयुक्त मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। केजीबीवी में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक करीबी निगरानी प्रणाली प्रचलित है और सामान्य स्कूलों में व्यापक और सतत मूल्यांकन (सीसीई) प्रगति पर है। कक्षा 8 उत्तीर्ण करने से लेकर कक्षा-9 में प्रवेश लेने तक सीडब्ल्यूएसएन ट्रैकिंग शुरू कर दी गई है। आईईपी और सीसीई के अनुसार, विशेष सीडब्ल्यूएसएन को उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ अनुकूलन किए जाते हैं। उच्च सहायता आवश्यकताओं वाले बेंचमार्क दिव्यांग बच्चों के लिए परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा भत्ता वर्ष में 10 महीने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। राज्य द्वारा प्रायोजित महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अतिपिछड़ा वर्ग 'अक्षर आंचल योजना' जैसे चल रहे वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों में दिव्यांगता के आधार पर दिव्यांगों के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं है।
4. Skill Development and Employment: (Section 19-23):			
Sl. No	Sub-Section	Points	Action Taken/Response
Chapter 4: Skill Development and Employment:			

3.	19.	दिव्यांगजनों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार की सुविधा के लिए रियायती दर पर ऋण के प्रावधान सहित योजना और कार्यक्रम तैयार करने के उपाय।	दिव्यांगजनों को बीसीईसीई बोर्ड, पटना के माध्यम से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण में 5% आरक्षण प्रदान किया जाता है। दिव्यांगों के लिए स्वरोजगार और शिक्षा के लिए ऋण के प्रावधान के साथ 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं शिक्षा योजना' लागू की गई है। दिव्यांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित किया गया है और यह क्रियाशील है।
	20.	दिव्यांगजनों के रोजगार में भेदभाव न हो यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए।	सरकारी नौकरी में भेदभाव न करने का निर्देश दिया गया है. 'सामान्य कौशल प्रशिक्षण योजना' बिहार कौशल विकास मिशन के तहत कार्यान्वित की जा रही है और इसमें दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। 'कौशल प्रशिक्षण योजना' के नामांकन में दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाती है। दिव्यांगजनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार सहायता के लिए प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती योजनाओं के तहत, PwD को प्रशिक्षित किया जाता है और प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, बिहार कौशल विकास मिशन (बीएसडीएम) 'कुशल युवा कार्यक्रम' के नाम से एक अद्वितीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है जो रोजगार कौशल को बढ़ाने का प्रयास करता है जिसके माध्यम से जीवन कौशल, संचार और व्यवहार कौशल, साक्षरता/बुनियादी कौशल प्रशिक्षण व्यवस्थाऐं शामिल है, जिसमें ज्ञान, बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड के तहत दिव्यांगजनों को आयु में 5 वर्ष की छूट का लाभ प्रदान किया जाता है। क्षेत्रीय प्रदर्शनी/मेला ('सरस मेला') दिव्यांग विभाग को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एक मंच प्रदान करता है। राज्य द्वारा संचालित किसी भी योजना में दिव्यांगजनों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के तहत सरकारी नियोजन में दिव्यांगजनों के साथ भेदभाव नहीं किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है।
	21.	यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि प्रतिष्ठान (सरकारी/निजी) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति अधिसूचित करें।	सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में समान अवसर नीति का पालन किया जा रहा है। 'समान अवसर नीति', प०सं० 667 दिनांक 01.08.2019 द्वारा अधिसूचित एवं राज्य दिव्यांगता आयुक्त के प०स० 877 दिनांक 02.08.2019 द्वारा पंजीकृत।
	22.	दिव्यांगजनों के रिकॉर्ड और धारा 21 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये गये।	सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठान रिकॉर्ड बनाए रखते हैं। रोजगार नियोजनालय दिव्यांगों के संबंध में रिकॉर्ड भी रखते हैं।
	23.	सरकारी प्रतिष्ठान एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करेगा: i) शिकायत निवारण अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान। ii) शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायतों का रजिस्टर बनाए रखना। iii) यदि शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, तो दिव्यांगजन जिला स्तरीय समिति से संपर्क कर सकते हैं।	हां, शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय शिकायत निवारण प्रणाली पहले से ही कार्यरत है जहां शिकायत का निवारण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाता है। विभिन्न विभागों में शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं. लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पीडब्ल्यूडी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। 'बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2019' द्वारा अधिसूचित। दिव्यांगता हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सीडब्ल्यूएसएन या उनके माता-पिता/अभिभावकों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी अधिसूचित

			किया गया है। जिला नोडल अधिकारी शिकायतों का एक रजिस्टर रखते हैं।

5. Social Security, Health, Rehabilitation and Recreation: (Section 24-30):

Sl. No	Sub-Section	Points	Action Taken/Response
Chapter 5: Social Security, Health, Rehabilitation and Recreation			
4.	24 and 25	उपयुक्त सरकार. और स्थानीय अधिकारी अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर आवश्यक सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य उपाय तैयार करते हैं।	राज्य में सामाजिक सुरक्षा के उपाय किये गये हैं - * बिहार दिव्यांग पेंशन योजना @ रु. 400/- प्रति माह दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 जुलाई 2014 से लागू है - अधिसूचना संख्या 2264 दिनांक 25.04.2014। * दिव्यांगजनों के लिए विवाह प्रोत्साहन योजना 'मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना' के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है। - पुरुष/महिला दिव्यांगजन से सामान्य व्यक्ति के विवाह के मामले में 1 लाख रुपये की अनुदान सहायता दी जाती है और यदि पति/पत्नी दोनों दिव्यांग हैं तो सहायता अनुदान 2 लाख रुपये होगा। * राज्य सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक कल्याण एवं सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक योजना "संबल" क्रियान्वित कर रही है। दिव्यांगजनों को सहायता और उपकरण, दवाएँ और नैदानिक सेवाएँ और सुधारात्मक सर्जरी का निःशुल्क प्रावधान। बेरोजगारी भत्ते की एक सामान्य योजना विचाराधीन है। राज्य सरकार ने मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं के लिए 'आशियाना' और मानसिक रूप से विक्षिप्त पुरुषों के लिए 'साकेत' जैसे आश्रय गृहों का प्रावधान किया है। छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वित की जा रही है।
	26.	उपयुक्त सरकार. और स्थानीय अधिकारी दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बीमा योजनाएँ बनाएंगे।	सरकारी प्रतिष्ठानों के पास अच्छी तरह से सुस्थापित बीमा योजनाएँ हैं।
	27.	उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारी पुनर्वास उपाय करेंगे।	• राज्य सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक कल्याण और सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना "संबल" लागू कर रही है। दिव्यांगजनों को सहायता और उपकरण, दवाएँ और नैदानिक सेवाएँ और सुधारात्मक सर्जरी का निःशुल्क प्रावधान। बेरोजगारी भत्ते की एक सामान्य योजना विचाराधीन है। राज्य सरकार ने मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं के लिए आशियाना और मानसिक रूप से विक्षिप्त पुरुषों के लिए साकेत जैसे आश्रय गृहों का प्रावधान किया है। विवाह प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित की जा रही है। छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वित की जा रही है। • दिव्यांगजनों को सभी सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण सेवाओं के साथ-साथ पुनर्वास सेवाओं के लिए स्थानीयकृत एकीकृत एक बिंदु समाधान प्रदान करने के लिए अब तक बुनियाद केंद्र के नाम से 101 सामाजिक देखभाल सेवा केंद्र - 38 जिला स्तर पर और 63 अनुमंडल स्तर पर स्थापित किए गए हैं। केंद्र उच्च गुणवत्ता वाली फिजियोथेरेपी सेवाएं, भाषण और श्रवण मूल्यांकन के साथ-साथ थेरेपी हस्तक्षेप, नेत्र जांच, परामर्श सेवाएं, सहायक उपकरणों के वितरण के लिए फोकल प्वाइंट, सीडब्ल्यूएसएन के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं, यूडीआईडी प्रमाणन के लिए दिव्यांगता का आकलन आदि प्रदान

			करता है। नोडल अधिकारी को PWD से संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिए नामित किया गया है। 38 से अधिक मोबाइल आउटरीच थेरेपी वैन (एमटीवी) को 'संजीवनी सेवा' नाम दिया गया है, जो दूरदराज के क्षेत्रों के दिव्यांगों को चिकित्सीय और मूल्यांकन सेवाओं से संबंधित आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। दूरदराज के क्षेत्रों में दिव्यांगजनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मोबाइल आउटरीच थेरेपी वैन के माध्यम से जिलों में मासिक रोस्टर आधारित आउटरीच सेवाएं प्रदान की गई हैं। इन एमटीवी का उपयोग शिविर के साथ-साथ नियमित आधार पर दिव्यांगता प्रमाणीकरण के उद्देश्य से भी किया जा रहा है। • आवश्यकता के आधार पर पुनर्वास उपाय किये जा रहे हैं। बिहार के सभी जिलों को मिलाकर 74 शैक्षिक संसाधन केंद्र स्थापित किये गये हैं। संसाधन केंद्र सीडब्ल्यूएसएन को चिकित्सा सेवाएं देने, दैनिक जीवन कौशल/विकास सेवाएं और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए उपकरणों से सुसज्जित हैं। इसके अलावा, 5 कृत्रिम अंग केंद्र ओएच (अस्थि दिव्यांगता) वाले बच्चों के शैक्षिक पुनर्वास की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। बीएलएसए मानसिक रूप से बीमार रोगियों के पुनर्वास, एनएएलएसए (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना, 2015 के कार्यान्वयन के लिए राज्य के साथ समन्वय करता है। रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे "कुशल युवा कार्यक्रम" के लिए दिव्यांगजनों को आयु में छूट दी गई है। PwD के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रत्येक मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों, उप-विभागीय अस्पतालों, रेफरल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध हैं। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के संबंध में स्वास्थ्य सुविधाएं बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अलाइड साइंसेज (बिम्हास) कोइलवर, भोजपुर में उपलब्ध हैं। • गैर सरकारी संगठन शैक्षिक पुनर्वास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल रहे हैं। आवश्यकता, मांग और प्रस्ताव के अनुसार, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर के गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
	28.	उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी आवास और पुनर्वास को बढ़ाने वाले मुद्दों पर अनुसंधान और विकास शुरू करेंगे।	आवास और पुनर्वास को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास को व्यक्तिगत और संस्थागत उपायों के माध्यम से शुरू और बढ़ावा दिया जाता है। दिव्यांगों पर अनुसंधान गतिविधियों के संचालन के लिए एनओसी अनिवार्य।
	29.	उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारी दिव्यांगजनों के सांस्कृतिक जीवन जीने और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए उपाय करते हैं।	दिव्यांगों को अपना सांस्कृतिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और वे विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेते हैं। जीवन के अभिन्न अंग के रूप में सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए हैं।
	30.	उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों को बढ़ावा देंगे और उनकी रक्षा करेंगे।	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शिविरों सहित खेल गतिविधियों में भाग लेते हैं।

6. Special Provisions for Persons with Benchmark Disabilities (Section 31-37):			
Sl. No	Sub-Section	Points	Action Taken/Response
Chapter 6: Special Provisions for Persons with Benchmark Disabilities:			
5.	31.	उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि 6-18 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा।	सीडब्ल्यूएसएन को निःशुल्क समावेशी शिक्षा प्रदान की जा रही है। सीडब्ल्यूएसएन की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष स्कूल भी काम कर रहे हैं। सीडब्ल्यूएसएन को पुस्तक और शिक्षण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। प्रवेश में 'शून्य अस्वीकृति नीति' व्यवहार में है और सरकार द्वारा इसका पालन किया जाता है। सरकार सहायता प्राप्त विद्यालय में, 6-18 वर्ष के बीच बेंचमार्क दिव्यांगता वाला बच्चा पड़ोस के स्कूल में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का हकदार है। इसकी निगरानी अधिकारियों द्वारा की जाती है।
	32.	सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान दिव्यांगों के लिए कम से कम 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित करेंगे।	राज्य सरकार ने संकल्प संख्या-7162 दिनांक-31.05.2018 जारी कर शैक्षणिक संस्थानों में 5% आरक्षण की अनुमति दी। दिव्यांगों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु में छूट दी जा रही है। राज्य सरकार ने पत्र संख्या-12444 दिनांक-12.09.2016 जारी कर दिव्यांगजनों को परीक्षा शुल्क में छूट दी।
	33.	उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी:- i) दिव्यांगजनों के लिए पदों की पहचान करें ii) उपरोक्त उद्देश्य के लिए दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व वाली विशेषज्ञ समिति का गठन करें iii) पहचाने गए पोस्ट की समय-समय पर त्रैवार्षिक अवधि में समीक्षा ।	राज्य सरकार ने राज्य सरकार के सभी पदों और सेवाओं में दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण अधिसूचित किया है। यदि यह पाया जाता है कि विशेष पद दिव्यांगों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो क्षतिपूर्ति के लिए अन्य समकक्ष पद पर दिव्यांगों को समान आरक्षण दिया जाएगा और इस पहलू की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा की जाएगी । सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, अपने संकल्प संख्या. 962, दिनांक: 22.01.2021 एवं पत्र क्रमांक. 7151, दिनांक: 15.07.2021 द्वारा सभी संबंधित विभागों को सूचित कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध करा दिये गये हैं, और इसका पालन किया जा रहा है।
	34.	1) सरकारी प्रतिष्ठानों में उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी दिव्यांगजनों के लिए कुल रिक्तियों में से कम से कम 4% आरक्षित रखेंगे। i) अंधापन और कम दृष्टि - 1% ii) बहरा और सुनने में कठिनाई, सेरेब्रल पाल्सी सहित लोकोमोटर दिव्यांगता, कुष्ठ रोग मुक्त, और बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी - 1%। iv) ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता और मानसिक बीमारी - 1% 2) न भरी गई रिक्तियों को दूसरों को सौंपने से पहले लगातार दो वर्षों तक आगे बढ़ाया जाना चाहिए।	राज्य सरकार (सा0प्र0वि0) ने एक संकल्प संख्या-13062 दिनांक-12.10.2017 जारी कर 4% आरक्षण की अनुमति दी। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, अपने संकल्प संख्या. 962, दिनांक: 22.01.2021 को दिव्यांगजनों की प्रत्येक श्रेणी के लिए श्रेणी अनुसार आरक्षण अधिसूचित किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, सरकार के संकल्प सं0-862 दिनांक-15.01.2024 में विविध न्यायिक वादों में पारित आदेश के अनुपालनार्थ राज्याधीन सेवाओं में नियमित प्रोन्नति आरम्भ करने से संबंधित आदेश के साथ ही दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में आदेश निर्गत किये जाने का उल्लेख किया गया है।
	35.	उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी निजी क्षेत्रों में नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित	केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन को छोड़कर, राज्य सरकार निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान करती है।

		करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेंगे कि उनके कार्यबल का कम से कम 5% हिस्सा बना रहे PwDs का।	I. रोजगार पूर्व प्रशिक्षण, रोजगार पश्चात प्रशिक्षण, 5% दिव्यांग कर्मचारियों वाले निजी नियोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2. निजी नियोक्ताओं के ऐसे सभी परिसरों में यदि 5% कर्मचारी PwD के रूप में कार्यरत हैं, तो उनके परिसरों को सुगम्य और विकलांगों के अनुकूल बनाया जा सकता है। 3. PwD कर्मचारियों की क्षमता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए निजी नियोक्ताओं को उनके कार्यबल के 5% PwD को नियोजित करके उपयुक्त सहायक उपकरण प्रदान किए जा सकते हैं। समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार ऐसे संगठनों के नियोक्ताओं के साथ रोजगार पूर्व बैठक आयोजित कर रही है जो अपने कार्यबल के 5% दिव्यांगों को कर्मचारी बनाना चाहते हैं और जिन्होंने अपने कर्मचारियों की आवश्यकता और स्थिरता का पता लगाने के लिए 5% कर्मचारियों को दिव्यांग के रूप में नियुक्त किया है।
	36.	उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रतिष्ठान दिव्यांगजनों के लिए हुई या होने वाली रिक्तियों के संबंध में रोजगार नियोजनालय को जानकारी देगा।	नियोजनालय की कार्रवाई के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार ने श्रम विभाग, बिहार से रिपोर्ट मांगी है। विशेष रोजगार नियोजनालय स्थापित एवं कार्यशील है। दिव्यांगजनों को समय-समय पर व्यावसायिक मार्गदर्शन सहित मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है।
	37.	उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी दिव्यांगजनों के पक्ष में योजनाएँ बनाएंगे:- i) सभी प्रासंगिक योजनाओं में कृषि भूमि और आवास के आवंटन में आरक्षण के लिए बेंचमार्क दिव्यांग महिलाओं को प्राथमिकता - 5%। ii) सभी गरीबी उन्मूलन और विभिन्न विकासात्मक योजनाओं में आरक्षण के लिए बेंचमार्क PwD वाली महिलाओं को प्राथमिकता- 5%। iii) आवास, आश्रय, व्यवसाय की स्थापना, व्यवसाय, उद्यम, मनोरंजन केंद्र और उत्पादन केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन में आरक्षण - 5%।	राज्य ने इसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग बिहार के आदेश संख्या 668, दिनांक: 01.08.2019 के माध्यम से अधिसूचित किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार द्वारा भूमिहीन परिवारों की महिलाओं को "बसेरा" कार्यक्रम के तहत 03-05 डिसमिल भूमि उपलब्ध करायी जाती है। बिहार राज्य आयुक्त नि:शक्तता की पहल पर पंचायत, ब्लॉक, अनुमंडल और जिला स्तर पर गठित और राज्य स्तर पर जुड़े हुए बनाए गए दिव्यांगजन समूह, अर्थात् दिव्यांग व्यक्ति संगठन और दिव्यांग व्यक्ति समूह, व्यावहारिक समाधान के रूप में उभरे हैं। राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार द्वारा आयोजित जिलावार (या यहां तक कि ब्लॉक स्तर) समीक्षा-सह-मोबाइल न्यायालयों के प्रावधानों का कार्यान्वयन की समीक्षा एक अनिवार्य हिस्सा है।

7. Special Provisions for Persons with Disabilities with Support Needs: (Section 38)

Sl. No	Sub-Section	Points	Action Taken/Response
Chapter 7: Special Provisions for Persons with Disabilities with Support Needs			
6.	38.	मांग पर और विचार करने पर सरकार दिव्यांगजनों को उच्च सहायता आवश्यकताएं प्रदान कर सकती है। मूल्यांकन बोर्ड संदर्भित मामले का आकलन करेगा और उच्च समर्थन की आवश्यकता को प्रमाणित करते हुए प्राधिकरण को एक रिपोर्ट भेजेगा।	बिहार नि:शक्तजन पेंशन योजना, सहायता एवं उपकरण वितरण योजना तथा मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, आदि योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। दिव्यांगता मामलों की देखभाल के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्राधिकरण, जहाँ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले कोई भी व्यक्ति जिसे उच्च सहायता की आवश्यकता है, आदेश संख्या- 669 दिनांक 01.08.2019 द्वारा अधिसूचित आवेदन कर सकता है। प्रत्येक जिले में संबंधित सदर अस्पतालों में सिविल सर्जन/सभी मेडिकल कॉलेज

			अस्पतालों में अधीक्षक/सीएमओ की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, एक नेत्र विशेषज्ञ, एक बाल रोग विशेषज्ञ और एमबीबीएस और एमडी या एमएस की योग्यता रखने वाले एक सामान्य चिकित्सक होंगे। अपने-अपने क्षेत्र में, राज्य नि:शक्तता आयुक्त को प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनके पास उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजन आवेदन कर सकते हैं। • बिहार सरकार ने बिहार दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 को अधिसूचित किया है। बिहार दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अध्याय VI में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है। • राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 57 और धारा 38 (1) और यूडीआईडी पोर्टल www.swavlambancard.gov.in - दिव्यांगता प्रमाणन और अद्वितीय दिव्यांगता आईडी कार्ड ऑनलाइन मंच के प्रयोजन के लिए प्रमाणित अधिकारियों को इष्टगत अधिसूचना 513 दिनांक 12.06.2019 माध्यम से अधिसूचित किया है। .

8. Duties and Responsibilities of Appropriate Governments:

Sl. No	Sub-Section	Points	Action Taken/Response
Chapter 8: Duties and Responsibilities of Appropriate Governments			
7.	39.	सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्थन को प्रोत्साहित करेगी और जागरूकता अभियानों और संवेदीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देगी।	जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। दिव्यांगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य दिव्यांगता आयुक्त द्वारा मोबाइल कोर्ट का संचालन किया जाता है। संवेदीकरण कार्यक्रमों में शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम विभाग शामिल हैं।
	40.	सरकार दिव्यांगजनों के लिए पहुंच के मानक तय करेगी।	मानकों का यह सूत्रीकरण केंद्र सरकार पर निर्भर करता है और इस प्रकार तैयार किए गए मानकों तक पहुँच को लागू किया जाएगा।
	41.	उपयुक्त सरकार दिव्यांगजनों के लिए परिवहन सेवाओं तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करेगी।	दिव्यांगजनों के लिए बसों में 2 सीटें आरक्षित हैं। रैंप उपलब्ध कराए गए हैं और दिव्यांगों को मुफ्त रियायती बस पास उपलब्ध कराया गया है। 440 में से 219 सरकारी स्वामित्व वाली बसों को सुलभ बनाया गया।
	42.	उपयुक्त सरकार ऑडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध सामग्री तक आसान पहुंच के लिए अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण प्रदान करेगी।	सार्वभौमिक रूप से डिज़ाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक सामान और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एकीकृत राज्य सरकार जल्द ही लॉन्च होने वाले GIGW के बाद वेबसाइट और पहचाने गए 44 सार्वजनिक दस्तावेजों को सुलभ बनाया जाएगा।
	43.	उपयुक्त सरकार. दिव्यांगजनों के सामान्य उपयोग के लिए उत्पादों और सहायक उपकरणों के विकास को बढ़ावा देगा।	दिव्यांगजनों के सामान्य उपयोग के लिए सार्वभौमिक रूप से डिज़ाइन किए गए उपभोक्ता उत्पादों और सहायक उपकरणों के विकास, उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए हैं।
	44.	भवन डिजाइन को दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल बनाने के लिए प्रतिष्ठान भवन मानदंडों के पालन का अनिवार्य रूप से पालन करता है।	भवन निर्माण विभाग राष्ट्रीय भवन संहिता का पालन कर रहा है और इस प्रकार पहुंच मानदंडों और बाधा मुक्त पर्यावरण स्थितियों को शामिल किया गया है।
	45.	5 वर्षों के भीतर सभी सार्वजनिक भवनों को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाया जाएगा।	इसे क्रियान्वित किया जा रहा है. • पहला चरण: राज्य की राजधानी पटना की 21 महत्वपूर्ण इमारतों

			को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने के लिए चुना गया है। विभिन्न भवन, यानी पीएमसीएच, ए.एन. मेडिकल कॉलेज, माननीय पटना उच्च न्यायालय, सचिवालय आदि को सुलभ बनाया गया है। • दूसरा चरण: पटना शहर के 50 प्रतिशत भवनों को सुगम्य बनाने हेतु प्रमुख सरकारी भवनों के सुगम्यता परीक्षण कार्य हेतु एजेंसी नामित करने की प्रक्रिया जारी है। • तृतीय चरण: सुगम्य भारत अभियान के क्रियान्वयन हेतु राज्य के 10 प्रमुख शहरों का चयन कर इसकी जानकारी विभागीय पत्र क्रमांक 182 दिनांक 07.02.2017 के माध्यम से मंत्रालय को भेज दी गयी है। चयनित शहरों के नाम हैं:- आरा, गया, छपरा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, समस्तीपुर, सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर और बेगुसराय।
	46.	सेवा प्रदाता 2 वर्ष के भीतर पहुंच संबंधी नियमों के अनुसार सेवा प्रदान करेगा।	इसे केंद्र सरकार द्वारा भौतिक पर्यावरण के लिए पहुंच के मानकों को शामिल करके लागू किया जाएगा।
	47.	उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मानव संसाधन विकसित करने का प्रयास करेंगे।	इस अधिनियम के तहत विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उपयुक्त कर्मियों की भर्ती, प्रेरण, संवेदीकरण, अभिविन्यास और प्रशिक्षण की योजना तैयार करने के लिए आवश्यकता आधारित विश्लेषण किया जा रहा है। "सरकार में आरक्षण" पर प्रशिक्षण सेवाओं" को बी.आई.पी.ए.आर.डी., पटना द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।
	48.	उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी सभी सामान्य योजनाओं और कार्यक्रमों का सामाजिक लेखा-परीक्षण करेंगे।	इस प्रकार अपनाई गई नई योजनाओं और कार्यक्रमों को सामाजिक लेखापरीक्षा के दायरे में शामिल किया जाएगा ताकि दिव्यांग व्यक्तियों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को खत्म किया जा सके और दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं और चिंताओं को पूरा किया जा सके।

9. Registration of Institutions for Persons with Disabilities and Grants to such Institutions (Section 49-55):

Sl. No	Sub-Section	Points	Action Taken/Response
Chapter 9: Registration of Institutions for Persons with Disabilities and Grants to such Institutions			
8.	49.	राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए संस्थानों के पंजीकरण और संस्थानों को अनुदान के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करेगी।	पीडब्ल्यूडी के लिए राज्य आयुक्त एक सक्षम प्राधिकारी है दिव्यांगजनों के लिए संस्थानों के पंजीकरण हेतु। विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा निर्णय के अनुसार पात्र संस्थानों को अनुदान प्रदान किया गया। जिला प्राधिकारियों द्वारा अग्रेषित सूची में से उपयुक्त संस्थानों की जांच समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाती है।
	50 to 55	केंद्र सरकार के संस्थानों के अलावा अन्य संस्थानों का पंजीकरण। अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति पंजीकृत व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।	राज्य निःशक्तता आयुक्त दिव्यांगों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को पंजीकृत करता है और तदनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करता है। धारा 52 -54 के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। पंजीकृत संस्थानों को सेवाएँ प्रदान करने और योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

11. State Advisory Board on Disability and District Level Committee (Section 66-72)

Sl. No	Sub-Section	Points	Action Taken/Response
Chapter 11: State Advisory Board on Disability and District Level Committee			
9.	66.	राज्य सरकार राज्य सलाहकार समिति नियुक्त करेगी।	राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन पत्र क्रमांक-1520 दिनांक-23.10.2017 द्वारा अधिसूचित किया गया है।
	72.	राज्य सरकार उसके द्वारा निर्धारित कार्य करने के लिए जिला स्तरीय दिव्यांगता	अधिसूचना संख्या-1822 दिनांक-19.12.2017, आरपीडब्ल्यूडी नियम, 2017 के माध्यम से जिला स्तरीय समिति का प्रावधान किया

		समिति का गठन करेगी।	गया है और जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।

12. State Commissioner for Persons with Disabilities :- (Section 79-83):

Sl. No	Sub-Section	Points	Action Taken/Response
Chapter 12: State Commissioner for Persons with Disabilities			
10.	79.	(i) क्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के पीडब्ल्यूडी आयुक्त के पास स्वतंत्र या अतिरिक्त प्रभार है? (कृपया आयुक्त का नाम, कार्यालय का पता, व्हाट्स-अप नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल, फैक्स, ई-मेल आदि बताएं); (ii) क्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार। धारा 79(vii) के अनुसार राज्य आयुक्त की सहायता के लिए राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है? कृपया विवरण प्रदान करें: (iii) अन्य आवश्यक ढांचागत सुविधाओं के साथ राज्य आयुक्त की सहायता के लिए प्रदान किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों का विवरण: (iv) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वितरित सहायता अनुदान: (v) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निधि की निगरानी के लिए आयुक्त, दिव्यांगता कार्यालय द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या: वर्ष..... संख्या निरीक्षण..... वर्ष..... संख्या निरीक्षण..... वर्ष..... संख्या निरीक्षण..... (vi) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अब तक की गई पहल और प्रमुख उपलब्धियों का सारांश: (vii) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 79 के	(i) राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, बिहार, के पास अतिरिक्त प्रभार है। (17.05.2023 से) अतिरिक्त प्रभार नाम: श्री कौशल किशोर, आई.ए.एस. पता:- राज्य आयुक्त निशक्तता का कार्यालय, सिंचाई भवन परिसर, पुराना सचिवालय, पटना-800015, मो.-9431005003, व्हाट्स एप नंबर- 9431005003 फोन नंबर-0612-2215041 (ऑफिस), ई-मेल-scdisability2008@gmail.com, scdisablity-bih@gov.in वेबसाइट-www.scdisabilities.com (ii) राज्य आयुक्त की सहायता के लिए राज्य सलाहकार समिति का गठन धारा 79(vii) के अनुसार किया गया है। (V) Financial Year | Number of Inspections 2020-21 | 16 2021-22 | --- 2022-23 | ---- (vi) कार्यालय को दिव्यांगों से डाक, ई-मेल, हाथ से या स्वप्रेरणा से प्राप्त शिकायतों पर आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार तुरंत विचार किया गया और मामले को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उचित अधिकारियों के समक्ष उठाया गया। (Vii) (ए) राज्य आयुक्त के समक्ष शिकायतकर्ताओं द्वारा दायर शिकायतों की संख्या - 281 (बी) राज्य आयुक्त द्वारा स्वप्रेरणा से (स्वप्रेरणा से) उठाए गए मामलों की संख्या:- 0 (सी) कुल मामलों की संख्या:-281 (घ) दिशा-निर्देश एवं सकारात्मक परिणाम सहित निस्तारित प्रकरणों की संख्या:-262 (ई) ऐसे मामलों की संख्या जहां निर्देशों का अनुपालन प्राप्त हुआ है:- 251 (च) लंबित मामलों की संख्या:-30 (viii) Financial Year | Annual Reports Status of Preparation 2019-20 | तैयार किया गया तत्पश्चात

		अनुसार निपटाए गए मामले: (ए) राज्य आयोग के समक्ष शिकायतकर्ताओं द्वारा दायर की गई शिकायतों की संख्या। (बी) राज्य आयुक्त द्वारा स्वप्रेरणा से उठाए गए मामलों की संख्या (स्वप्रेरणा से): (सी) मामलों की कुल संख्या: (डी) निर्देशों और सकारात्मक परिणाम के साथ निपटाए गए मामलों की संख्या: (ई) ऐसे मामलों की संख्या जहां निर्देशों का अनुपालन प्राप्त हुआ है: (च) लंबित मामलों की संख्या: (viii) तैयारी का विवरण पिछले तीन वित्तीय वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट और राज्य विधानमंडल के समक्ष उसका प्रस्तुतीकरण: वर्ष :- तैयारी की स्थिति:- इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना:-	2020-21 2021-22	सीसीपीडी, नई दिल्ली तथा स0क0वि0, बिहार सरकार को प्रस्तुत किया गया।

13. Special Court:- (Section 84-85):

Sl. No	Sub-Section	Points	Action Taken/Response
Chapter 13: Special Court and Special Public Prosecutor			
11.	84.	शीघ्र सुनवाई के लिए राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र अदालत को विशेष अदालत के रूप में निर्दिष्ट करेगी।	दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 84 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, बिहार राज्य सरकार ने कनिष्ठतम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय को नामित किया है। विधि विभाग, बिहार सरकार, अधिसूचना संख्या-7369 दिनांक-14.10.2019 के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सभी अपराधों की सुनवाई के उद्देश्य से बिहार के प्रत्येक सत्र प्रभागों में न्यायाधीश को विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है।
	85.	विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति।	विधि विभाग के पत्र संख्या 3844 दिनांक 23.07.2021 के माध्यम से 2 जिलों अर्थात जहानाबाद और सीवान में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गई है और शेष जिलों में, पहले से मौजूद लोक अभियोजकों को दिव्यांगों के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में काम करने के लिए अधिकृत किया गया है।

15. State Fund for Persons with Disabilities: - (Section 88):

Sl. No	Sub-Section	Points	Action Taken/Response
Chapter 15: State Fund for Persons with Disabilities			
12.	88.	राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए एक राज्य निधि का गठन करेगी।	दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि चालू है।

16. Offences and Penalties: - (Section 89-91) :

Sl. No	Sub-Section	Points	Action Taken/Response
Chapter 16: Offences and Penalties			
12.	89.	इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिकतम जुर्माना रु. 10,000/-	अधिनियम के अनुसार दंडात्मक प्रावधान लागू किया गया है। अनुभाग के प्रावधानों को लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों

		पहले उल्लंघन के लिए और बाद के उल्लंघन के लिए रु. 50,000/- से 5.00 लाख तक।	और प्राधिकरणों को उपयुक्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें विस्तृत प्रावधान, आवश्यक कार्रवाई, इसका अवलोकन करने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करना और रिपोर्टिंग प्रक्रिया शामिल है। इन प्रावधानों के बारे में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि वे इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए और अधिक संवेदनशील हो सकें।
	91.	जो कोई भी इस अधिनियम के तहत धोखाधड़ी से लाभ उठाता है - अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और / अधिकतम जुर्माना रु 1.00 लाख।	अधिनियम के अनुसार दंडात्मक प्रावधान लागू किया गया है। अनुभाग के प्रावधानों को लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों और प्राधिकरणों को उपयुक्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें विस्तृत प्रावधान, आवश्यक आवश्यक कार्रवाई, इसका अवलोकन करने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करना और रिपोर्टिंग प्रक्रिया शामिल है। इन प्रावधानों के बारे में जागरूकता प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ दिव्यांग व्यक्तियों के बीच नवगठित दिव्यांगजन समूह, अर्थात् दिव्यांग व्यक्ति संगठनों और पंचायत, ब्लॉक, अनुमंडल और जिले में गठित दिव्यांग व्यक्ति समूहों के माध्यम से फैलाई जा रही है। इस अधिनियम, 2016 के तहत फर्जी लाभ न लेने के लिए राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार की पहल पर राज्य स्तर पर नेटवर्क बनाया गया।
17. Miscellaneous: - (100-101):			
Sl. No	Sub-Section	Points	Action Taken/Response
Chapter 17: Miscellaneous			
12.	101.	क्या आरपीडब्ल्यूडी नियम राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।	दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने बिहार दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 को अधिसूचित किया है।

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

Office of The State Commissioner for Persons with Disabilities

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना

Office of state Commissioner for Persons with Disabilities, Deptt. of Social Welfare, Govt. of Bihar
Sinchai Bhawan, Old Secretariat (Gate No.-04) Patna-800015
Phone No. 0612-2215041 | Helpline - +91-84483 85590
scdisability2008@gmail.com | scdisablity-bih@gov.in www.scdisabilities.com

Printed by : *JAGDAMBA PRINT LINE # 7004232758, 9771408591*